

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना-15, दिनांक- 15/4/13.

विषय: आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के प्रबंधन हेतु पूर्व तैयारियों एवं राहत एवं बचाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1206/आ0प्र0 दिनांक-10.04.2012 के क्रम में कहना है कि बिहार राज्य विशेषकर उत्तर पूर्व के जिले यथा सुपौल, अररिया, पूर्णियां, किशनगंज, कटिहार आदि गर्मी के महीनों में भीषण आंधी ओलावृष्टि तथा चकवाती तूफान से प्रभावित होते रहे हैं। इनके अतिरिक्त कैमूर, गया, नालन्दा, जमुई आदि जिले भी चकवाती तूफान से प्रभावित होते रहे हैं। इस कारण इन जिलों में जान-माल की क्षति, फसल की क्षति, गृह क्षति तथा विभिन्न आधारभूत संरचनाओं की क्षति प्रतिवेदित होती रही है।


2. इस पृष्ठभूमि में यह उचित होगा कि इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों की जाय तथा सतर्कता बरती जाए ताकि कम से कम क्षति हो तथा जान-माल को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसके लिए निम्न उपाय किये जायें-

- (क) आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि की आशंका होने पर पेड़ों के नीचे तथा कमजोर आधारभूत संरचनाओं के नीचे शरण न लें।
- (ख) जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया जाय जिसमें पाली ड्यूटी 24 x 7 पदाधिकारी/कर्मि प्रतिनियुक्त किये जायें।

- (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य अस्पतालों में घायलों को अहर्निश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था रहे तथा प्राथमिक उपचार तथा जीवन रक्षी दवाओं का भंडार पूर्व से ही कर लिया जाय। अस्पतालों में एम्बुलेंस तैयार स्थिति में रहें ताकि घायलों की सूचना प्राप्त होते ही उन तक चिकित्सा सुविधा तीव्र गति से पहुँच सके। ज्ञातव्य हो कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में एक-एक एम्बुलेंस का कय करने हेतु निधि उपलब्ध करायी गयी है। ये एम्बुलेंस जिला पदाधिकारी की देखरेख में आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेंगे।
- (घ) किसी भी आपदा के समय समुदाय एवं पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सभी थानों एवं संभावित क्षेत्रों को इस विषय से अवगत कराते हुए सतर्क रहने का निदेश दिया जाय। आपदा आते ही राहत एवं बचाव का कार्य त्वरित गति से करना सुनिश्चित किया जाए।
- (ङ) प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष 24 x 7 सक्रिय कर दिया जाय तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का फोन तथा मोबाईल नं० संधारित किया जाय।
- (च) प्रखंड/अंचल स्तर पर राहत एवं बचाव दल गठित कर उन्हें सतर्कता की स्थिति में रखा जाए ताकि आपदा आते ही वे राहत एवं बचाव कार्यों में लग जाँय।
- (छ) आँधी/तूफान/ओलावृष्टि आदि आने की स्थिति में अविलंब द्रुततम संचार माध्यम से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (फैक्स संख्या 0612 2217305/2217786) को सूचना भेजी जाय तथा यथाशीघ्र सर्वेक्षण करा कर विस्तृत क्षति प्रतिवेदन यथा फसल क्षति, गृह क्षति आदि की सूचना एवं राशि की अधियाचना विभाग को प्रेषित की जाय। दूरभाष/मोबाईल के माध्यम से भी अधोहस्ताक्षरी एवं विभागीय पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाए।

- (ज) आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि से बचाव हेतु मकानों/झोपड़ियों को अधिक से अधिक आँधी/ चकवाती तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।
- (झ) मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को शीघ्रताशीघ्र निर्धारित दर पर अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराते हुए आवंटन की शीघ्र माँग की जाए।

विश्वासभाजन



(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1409 / आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 15/4/13

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1409 / आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 15/4/13

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1409 / आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 15/4/13

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त /मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।




प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1409 / आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 15/4/13

प्रतिलिपि: आप्त सचिव माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के अवलोकनार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव